सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.,
बी-912, सेक्टर-सी महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/
पदेन जिला प्रबन्धक,
उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 1200 /2000-2001, दिनांक : 20 जून, 2000

विषय: स्वत: रोजगार तथा स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत बैंकों को भेजी गयी मार्जिन मनीऋण एवं अनुदान की अवितरित धनराशि की वापसी हेतु विशेष अभियान।

महोदय,

आप अवगत है कि निगम द्वारा वर्ष 1980-81 से प्रदेश में स्वत: रोजगार योजना तथा वर्ष 1992-93 से स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन की बैंकेबुल योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में लाभार्थियों के ऋण आवेदन-पत्रों पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा अनुदान तथा मार्जिन मनीऋण की धनराशि बैंकों को निगम के जनपदीय कार्यालय द्वारा बैंकर्स चेक के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

निगम के संज्ञान में यह बात प्रकाश में आयी है कि कतिपय बैंकों द्वारा स्वीकृति के बावजूद भी लाभार्थियों को निगम द्वारा प्रेषित अनुदान तथा मार्जिन मनीऋण की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। यह धनराशि बैंक लम्बी अवधि तक अपने उच्चन्त (सस्पेन्स) खाते में रख लेते हैं। बैंकों के इस कृत्य से एक ओर तो लाभार्थियों को उनकी परियोजनाओं के अनुरूप धनराशि का वितरण नहीं हो पाता तथा दूसरी ओर निगम/शासन की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। इस धनराशि पर निगम को कोई ब्याज भी प्राप्त नहीं होता है।

जिला प्रबन्धकों को यह निर्देश है कि बैंक स्वीकृति के उपरान्त निगम के जनपदीय कार्यालय द्वारा धनराशि बैंकों को प्रेषित करने से पूर्व उसका अंकन एस.सी.पी.-5 रजिस्टर में कर लिया जाय, साथ ही लाभार्थियों के ऋण खाते में ऋण की धनराशि का अंकन कर दिया जाय। निगम के संज्ञान में आया है कि बैंकों से स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट प्राप्त

न होने के कारण एस.सी.पी.-5 रजिस्टर पूर्ण नहीं किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि योजना की सम्पूर्ण धनराशि, जिसमें निगम की मार्जिन मनीऋण तथा अनुदान सम्मिलित है, योजना संचालन हेतु प्राप्त हो गयी है अथवा नहीं। निगम की जानकारी में यह भी प्रकाश में आया है कि ऋण लेजर के आधार पर लाभार्थी को ऋण वसूली नोटिस भेज दी जाती है किन्तु कतिपय मामलों में वास्तविक रूप से लाभार्थी को ऋण, अनुदान की धनराशि प्राप्त नहीं हुई होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि निगम के जनपदीय कार्यालय द्वारा एस.सी.पी.-5 रजिस्टर के अन्तिम कालम, जिसमें बैंक से प्राप्त स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट के आधार पर यह अंकन कर दिया जाता है कि बैंकों द्वारा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है अथवा नहीं, अपूर्ण है।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में यह प्रयास किया गया कि विभिन्न बैंक शाखाओं से पूर्व वर्षों की मार्जिन मनी तथा अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि को वापस किया जाये, फलस्वरूप कतिपय जनपदों द्वारा इस कार्य में रूचि लेकर धनराशि की वापसी की गयी। अभी भी जनपदों की विभिन्न बैंक शाखाओं में इस प्रकार की धनराशि पड़ी हुयी है तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह अत्यन्त खेद का विषय है। *इस धनराशि की वापसी के लिये माह- जुलाई, 2000 में एक विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अब किसी बैंक शाखा में निगम द्वारा प्रेषित अनुदान अथवा मार्जिन मनीऋण की धनराशि अवितरित नहीं पड़ी हुयी है।* जनपदीय कार्यालयों के लिये इस धनराशि की वापसी के लिये निम्न रणनीति अपनायी जाएगी :-

(1) माह- जुलाई, 2000 के प्रथम सप्ताह में निगम के जनपदीय कार्यालयों द्वारा वर्ष 1980-81 से वर्ष 1999-2000 तक के एस.सी.पी.-5 रजिस्टर का परीक्षण किया जायेगा तथा उन रजिस्टरों से यह सूचना संकलित की जायेगी कि किन बैंक शाखाओं द्वारा किन लाभार्थियों को अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। एस.सी.पी.-5 रजिस्टर में जिन बैंकों से स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट प्राप्त नहीं हुये होंगे, वह कालम खाली पड़े होंगे। उन्हीं प्रविष्टियों का वर्षवार तथा बैंक शाखावार अलग से स्टेटमेन्ट तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर शाखा प्रबन्धक को सही चेक नम्बर तथा दिनांक व धनराशि से अवगत कराया जायेगा और उनसे उस ऋण/अनुदान के वितरण अथवा वितरण न होने की स्थिति ज्ञात की जायेगी।

(2) यदि उक्त जांच-पड़ताल से यह ज्ञात होता है कि धनराशि बैंक द्वारा वितरित नहीं की गयी, बैंक से उस धनराशि का पूरा विवरण, लाभार्थी का नाम व पता, परियोजना आदि की जानकारी करते हुये यह धनराशि बैंक से बैंकर्स चेक अथवा

बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल वापस प्राप्त कर निगम के जनपदीय अभिलेखों तथा ऋण लेजरों में अंकित करने के उपरान्त धनराशि निगम मुख्यालय प्रेपित की जायेगी।

(3) इस अभियान को कार्य रूप देने के लिये जनपदीय कार्यालय के अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/जिला प्रबन्धक से लेकर कनिष्ठ लिपिक तक एवं विकास खण्ड स्तर पर तैनात सहायक विकास अधिकारी (स.क.) के मध्य उन समस्त बैंक शाखाओं का विभाजन किया जायेगा, जहां पर अवितरित धनराशि पड़ी हुयी है तथा प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी उसको आवंटित बैंक शाखाओं में स्वयं जायेगा तथा कार्यालय से प्राप्त स्टेटमेन्ट के आधार पर उस बैंक शाखा से धनराशि की वापसी करायेगा।

(4) यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब उस बैंक में कोई अवितरित धनराशि नहीं पड़ी हुयी है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक के शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से एक प्रमाण-पत्र भरा जायेगा, जिस पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तथा शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रमाण-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अब उस बैंक शाखा में 1980-81 से लेकर वर्ष 1999-2000 तक निगम की कोई मार्जिन मनीऋण तथा अनुदान की धनराशि अवितरित नहीं पड़ी हुयी है। *प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है।*

(5) बैंकों से सम्पर्क करने के लिये जुलाई, 2000 के द्वितीय व तृतीय सप्ताह की समयावधि निर्धारित की जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्रथम सप्ताह में निगम के अभिलेखों की जांच-पड़ताल कर स्टेटमेन्ट तैयार करना तथा माह-जुलाई, 2000 के द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में बैंकों से सम्पर्क कर धनराशि वापस कराने का कार्य किया जायेगा। माह- जुलाई, 2000 के चतुर्थ सप्ताह में बैंकों से प्राप्त धनराशि के बैंक ड्राफ्ट तथा प्रमाण-पत्र निगम मुख्यालय प्रेपित किये जायेगें।

(6) जिला प्रबन्धक संलग्नक प्रारूप-2 पर अद्यतन धनराशि प्राप्ति की संकलित सूचना तथा प्रारूप-3 पर अधिकारी/कर्मचारीवार अभियान काल में लक्षित बैंक शाखाओं में कार्य पूर्ण होने की स्थिति से 15 जुलाई एवं 29 जुलाई तक की स्थिति से 18 जुलाई एवं 1 अगस्त तक निगम मुख्यालय पर महाप्रबन्धक संस्थागत वित्त को अवगत करायेंगे।

इस विशेष अभियान में निगम के जनपदीय कार्यालय में तैनात समस्त अधिकारी/कर्मचारी तथा विकास खण्डों में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स0क0) सक्रिय भूमिका निभायेंगे तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे, जो अधिकारी/

कर्मचारी इस कार्य में शिथिलता बरतेगा, अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/जिला प्रबन्धक से सूचना प्राप्त होते ही उस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/जिला प्रबन्धक प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बैंक शाखायें आवंटित कर दी गयी है, साथ ही वह स्वयं भी 3 से 5 बैंक शाखाओं में धनराशि वापसी का कार्य करेंगे। माह- जुलाई के द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह के अन्त में अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/जिला प्रबन्धक सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करेंगे तथा उनको अनुभव होने वाली कठिनाईयों का निराकरण भी करायेंगे। जिस जनपद से माह- जुलाई के अन्तिम सप्ताह में यह सूचना/प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जायेगी कि उनके जनपद में अब किसी भी बैंक में अवितरित धनराशि नहीं पड़ी हुयी है, उस जनपद के अधिकारी/कर्मचारी को निगम की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा, साथ ही जिन कर्मचारियों द्वारा इस अभियान में पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं किया जायेगा तथा कार्य में शिथिलता बरती जायेगी, उन्हें दण्डित किया जायेगा।

पुनः आपको यह निर्देश दिये जाते है कि *अवितरित धनराशि* की वापसी के इस विशेष अभियान में बैंक शाखाओं से शत-प्रतिशत समायोजन करते हुए अप्रयुक्त धनराशि की वापसी एवं ऋण लेजर एवं एस.सी.पी.-5 को यथा स्थिति अद्यावधिक कराया जाना सुनिश्चित करें। इसकी समीक्षा अगली मासिक स्टाफ बैठक में की जाएगी।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

पृ.सं.-1200 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. समाज कल्याण आयुक्त के निजी सचिव को महोदय के अवलोकनार्थ।

2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस विशेष अभियान का जुलाई के द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में रिव्यू करके अपने मार्गदर्शन में शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित वीमा निदेशालय, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से इस अभियान को सफल बनाने के लिये सम्बन्धित बैंको एवं अग्रणी बैंक प्रबन्धकों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

4. समस्त अग्रणी बैंक अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त बैंक शाखाओं को यह निर्देश दें कि निगम के अधिकारी/कर्मचारियों से बैंक शाखा में सम्पर्क करने पर उन्हें पूर्ण सहयोग दें तथा जो भी अवितरित धनराशि उनकी बैंक शाखा में पड़ी हुयी है, उसे तुरन्त बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम को वापस करें।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

प्रारूप – 1

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद .....की ..... (बैंक शाखा का नाम) में उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 1980-81 से 1999-2000 तक स्वत: रोजगार एवं स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत प्रेषित मार्जिन मनीऋण तथा अनुदान की अवितरित धनराशि रू. ..... अवशेष है/नही है।

2. अवितरित धनराशि रू. ..... का बैंक ड्राफ्ट सं. ..... दिनांक ..... निगम के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, जिनके हस्ताक्षर नीचे है, को वापस कर दिया गया है।

निगम द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/
कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम,
पदनाम तथा क्षेत्र

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक
बैंक का नाम व पता।

प्रारूप – 2

जनपद –

बैंक का नाम	शाखा	अप्रयुक्त/अवितरित धनराशि			बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि
		अनुदान	मार्जिन मनी	योग	
1	2	3	4	5	6
योग					

प्रारूप – 3

अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	लक्षित बैंक शाखा संख्या	शाखा संख्या जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है
1	2	3	4